न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 519/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– प्रभुराम पुत्र भगवानराम 2– वीरा पत्नी धन्नाराम 3– वीरमाराम पुत्र धन्नाराम 4– बाबुराम पुत्र धन्नाराम 5– चूनाराम पुत्र धन्नाराम 6–राजुराम पुत्र धन्नाराम (नाबालिग) 7–पन्नाराम पुत्र धन्नाराम(नाबालिग) छोनो जरिये कुदरती वलीया माता बीरा बेवा धन्नाराम 8–हमीराराम पुत्र गुमानाराम 9– कुम्भाराम पुत्र अलाराम 10–गोमती देवी पत्नी रामुराम सभी जातियान जाट निवासीगण बैरडो का बास, तहसील ओसियां जिला जोधपुर		1– गोमाराम पुत्र सुरजनराम 2– मोहनीदेवी पत्नी गोमाराम 3– भोमाराम पुत्र सुरजनराम जाति विश्नोई निवासी बेरडो का बास, तहसील ओसियां जिला जोधपुर 4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–12–2016 जो सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 282/2016 अनवान गोमाराम वगैरा बनाम प्रभुराम वगैरा मे पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री गुलाब सिह चंपावत अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 30–11–2017

इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि ग्राम बेरडो का बास तहसील ओसियां स्थिति खसरा नंबर 384 रकबा 304 बीघा 12 बिस्वा भूमि खसरा नंबर 384/1 रकबा 87 बीघा 10 बिस्वा भूमि को नक्शे मे गलत तरमीम कर दी जाने से उसे दुरस्त करने हेतु निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–12–2016 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी की खरीदसुदा खसरा नंबर 384/1 व खसरा नंबर 384 की तरमीम खातेदारी (जमाबंदी) अनुसार दुरस्त की जाकर उसी अनुसार मौके पर माप किया जाकर खातेदारान को भूमि सुपुर्द करने का आदेश पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 20–12–2016 के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी । वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थम मे लिखित बहस भी पेश की जिसकी प्रति वकील अपीलांट को दी जाकर अपीलांट अधिवक्ता की मौखिक बहस सुनी गई ।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत तरमीम संशोधित करने बाबत पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है । अपीलांट अधिवक्ता ने कथन किया कि तरमीम संशोधन के आदेश के विरूद्ध अपील के अलग प्रावधान होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर किये बिना धारा 136 के प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जबकि धारा 136 मे राजस्व रेकर्ड मे त्रुटिवशः या भूलवश हुए इन्द्राज दुरस्त करने का प्रावधान है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका एवं तामिली कार्यवाही की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय से जारी नोटिस की विधिवत तामिल करवाये बिना नोटिस पर तामिल कुनिन्दा की नोटिस लेने से इंकार की रिपोर्ट के आधार पर तामिल मानते हुए अपीलाधीन निर्णय बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये ही पारित कर दिया, जबकि नोटिसेज पर किसी भी मौतबिरान के हस्ताक्षर नही है न ही किसके समक्ष नोटिस अपीलांटगण को दिया गया, बाबत कोई रिपोर्ट है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय से नोटिस दिनांक 14–9–16 को जारी किये जाकर पेशी दिनांक 5–10–16 को रखी गई तथा दिनांक 5–10–2016 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से पत्रावली दिनांक 17–10–2016 को रखी जाकर अपीलांटगण के नोटिस की तामिल मानकर अपीलांटगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली दिनांक 2–11–2016 को मुकर्रर की, दिनांक 2–11–2016 तथा 9–11–2016, 30–11–2016 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से पत्रावली दिनांक 3–1–17 को मुकर्रर की गई परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 3–1–17 की तारीख मे कांटछांट कर पत्रावली दिनांक 20–12–2016 को ही पेशी पर ली जाकर अपीलांटगण के विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित कर दिया तथा यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे रेस्पो0 ने भूमि सुपुर्द करने की मांग ही नही की थी जबकि अपीलाधीन निर्णय मे रेस्पो0 की मांग से अधिक भूमि पर कब्जा देने का आदेश पारित कर दिया जो सरासर गलत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांटगण वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर अपीलांटगण का वक्त सेटलमेंट से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर ढाणियां बनी हुई है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रावधानो के अपीलांटगण के हिस्से की भूमि को रेस्पो0गण को सुपुर्द करने बाबत

अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो प्रारंभ से ही शून्य होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे वर्तमान अपीलांट संख्या 6 व 7 को नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने इन्हे बालिग मानते हुए तथा इनकी तामिल करवाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलाट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–12–2016 विधिविरूद्ध होने से निरस्त करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आर.आर.टी.2008 (1) पेज 82 तथा आर.आर.टी.2009 (2) पेज 1018 की निर्णय नजीरे पेश की ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार ओसियां से मौका रिपोर्ट तलब करने के पश्चात अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो सही है तथा कथन किया कि उक्त प्रकरण धारा 131 भू राजस्व अधिनियम के तहत नही बनता है क्योकि नक्शा मे तरमीम रजिस्टर्ड बेचान के आधारपर रेस्पो0 की खातेदारी के अनुसार तरमीम नही की गई है जबकि रेस्पो0 की खातेदारी राजस्व रेकर्ड मे 87 बीघा 10 बिस्वा दर्ज है तथा रेस्पो0 मौके पर काबिज है परंतु राजस्व नक्शे मे 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि की कम तरमीम होने से रेस्पो0 ने धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि कानून का यह तयसुदा सिद्धान्त है कि किसी भी प्रकरण के निस्तारण के लिए अदालत हाजा किसी भी प्रकरण का निस्तारण के लिए अदालत हाजा धारा गलत या सही लिखने से धारा के आधार पर आदेश पारित नही होकर प्रकरण के प्लीडिंग के अनुसार अदालत हाजा द्वारा आदेश पारित किया जायेगा तथा वर्तमान प्रकरण मे रेस्पो0 की प्लीडिंग के अनुसार आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत है ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलांट संख्या 6 व 7 नाबालिग नही होकर दोनो बालिग है तथा उनके बालिग होने बाबत उनके मतदाता सूची मे नाम होने के सबूत पेश किये है जबकि अपीलांट ने इनके नाबालिग होने बाबत कोई रेकर्ड पेश नही किया है इसलिए केवल मौखिक कथनो के अनुसार इन्हे नाबालिग नही माना जा सकता है क्योकि दोनो ने मतदान किया है । वकील रेस्पो0 ने तामिल के संबंध मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे तामिल कुनिन्दा ने मौके पर जाकर जो पक्षकार नही मिल उनकी रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय मे सम्मनो पर पेश कर दी थी तथा मौके पर कोई मौतबिर उपलब्ध नही होने के कारण मौतबिरान के हस्ताक्षर नही करवाये गये इसलिए इस तकनिकी बिन्दु पर प्रकरण को रिमाण्ड नही किया जा सकता है । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि माननीय राजस्व मण्डल का स्पष्ट अभिमत है कि यदि मेरिट पर केस बनता है तो अपीलीय न्यायालय को आदेश 41 नियम 33 के तहत ट्रायल कोर्ट के अधिकार अपीलीय न्यायालय को है इसलिए अब उक्त प्रकरण अपीलीय न्यायालय के संमक्ष प्रस्तुत हो चुका है तो कानूनी बिन्दुओ मे मध्यनजर पक्षकारान की सुनवाई का मेरिट पर निर्णित करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि का बेचान वर्ष 1962 मे अपीलांटगण द्वारा रेस्पो0गण को किया था इसलिए कानून का यह तयसुदा सिद्धान्त है कि अगर एक बार बेचान हो गया है तो उक्त बेचान को निरस्त करवाये बिना खरीददार के हक व अधिकार समाप्त नही किये जा सकते इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसकी आदेशिकाओ, अधीनस्थ न्यायालय मे उपलब्ध नोटिसेज जिन पर तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट्स तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 से 9 (वर्तमान अपीलांट संख्या 1 से 9) के नोटिसेज जिन पर तामिल कुनिन्दा की दो तरह की रिपोर्ट कि "आसामी ने नोटिस की एक फर्द ले ली, नोटिस पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया" अन्य रिपोर्ट जिसमे "आसामी घर पर हाजिर मिला नोटिस लेने से इन्कार किया, अतः नोटिस अदम तामिल पेश है" उक्त सभी नोटिसेज पर तामिल कुनिन्दा रूपसिह सवार के अलावा किसी भी मौतबिरान के गवाह स्वरूप कोई हस्ताक्षर या अंगुठा निशान नही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अदम तामिल नोटिस को भी आदेशिका दिनांक 17–10–2016 मे तामिल मानकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये है तथा अपीलाधीन निर्णय भी एकपक्षीय पारित किया गया है, जो विधि एवं न्यायसंगत नही माना जा सकता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन करने पर पत्रावली दिनांक 30–11–2016 तक तहसीलदार ओसियां की रिपोर्ट इंतजार मे चलती रही तथा दिनांक 30–11–2016 की सीलनुमा आदेशिका मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 3–1–2017 को मुकर्रर की परंतु तारीख मे कांटछांट कर पेशी दिनांक 3–1–2017 की बजाय 20–12–2016 करते हुए उक्त तिथी को ही तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त होने का उल्लेख करते हुए अपीलांट अधिवक्ता की बहस सुनकर एकतरफा निर्णय पारित कर दिया । इससे यह प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय की मंशा प्रारंभ से ही रेस्पो0 गण को लाभ पंहुचाने की रही थी । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब अप्रार्थीगण के सभी सम्मन अदम तामिल प्राप्त हुए थे तो उन्हे तामिल मानकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित करने का क्या औचित्य रहा । अधीनस्थ न्यायालय को पुनः अप्रार्थीगण के नोटिस पुनः पेश करने के आदेश पारित कर अप्रार्थीगण के सम्मन प्रोपर तामिल करवाकर उनको सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना चाहिये था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नही कर एकतरफा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो न्याय की मंशा के विपरीत होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार की रिपोर्ट के सलंग्न पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट मे यह स्पष्ट नही किया कि मूल खसरा नंबर 384 के मौके तथा नक्शा ट्रेस मे कितना रकबा बेशी हो रहा है फिर भी अधीनस्थ

न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–12–2016 के द्वारा रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी की खरीदसुदा खसरा नंबर 384/1 व खसरा नंबर 384 की तरमीम खातेदारी (जमाबंदी) अनुसार दुरस्त की जाकर उसी अनुसार मौके पर माप किया जाकर खातेदारान की भूमि सुपुर्द करने बाबत तहसीलदार ओसियां को आदेशित कर दिया, जो विधिसम्मत नही है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–12–2016 निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनःनये सिरे से विधिवत निर्णय पारित करे ।

निर्णय आज दिनांक 30–11–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर